फाइल सं. ए.12018/26/2019-लेप
भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(सीसीडी अनुभाग)

विषय -केंद्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुंसधान संस्थान (सीएलटीआरआई), चेंगलपट्टू, तमिलनाडू में लाइब्रेरी अटेंडेंट, समूह 'ग' (गैर-राजपत्रित, गैर-मंत्रालयी) के पद के लिए भर्ती नियमों में संशोधन पर सार्वजनिक नोटिस के संबध में।

कार्मिक एंव प्रशिक्षण विभाग के दिंनाक 13.10.2015 के का.ज्ञा.सं एबी. 14017/61/2008-स्था.(आरआर) के अनुपालन में, केंद्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुंसधान संस्थान (सीएलटीआरआई), चेंगलपट्टू तमिलनाडू में लाइब्रेरी अटेंडेंट, समूह 'ग' (गैर-राजपत्रित, गैर-मंत्रालयी) के पद के लिए भर्ती नियमों का मसौदा संलग्न है।

2. भर्ती नियमों के मसौदे पर कोई आपत्तियों/टिप्पणियां या सुझाव देने वाले इच्छुक हितधारक मसौदा भर्ती नियमों के प्रकाशन की तारिख से 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रुप में अपनी आपत्तियां/टिप्पणियां या सुझाव, श्री बैद्यनाथ प्रसाद, अवर सचिव, स्वास्थय और परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा सं, 753-क, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110011 या ई-मेल पर भेज सकते है। baidyanath.prasad@nic.in

11/9/2020

(बैद्यनाथ प्रसाद)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष 23061510

नई दिल्ली
दिनांक 11/9/2020

[भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 2020

सा.का.नि.................. राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा केंद्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु (समूह-'घ'पद) भर्ती नियमावली, 1992 का, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, केंद्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु में पुस्तकालय सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** : (1) इन नियमों का नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु, पुस्तकालय सहायक (समूह 'ग' अराजपत्रित, गैर- मंत्रालयी) भर्ती नियम, 2020 होगा।

   (2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **निरर्हता-** वह व्यक्ति-
   1. जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, या
   2. जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

   परन्तु यदि केंद्रीय सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति–** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. **व्यावृत्ति-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडें वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हताएं।	क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
पुस्तकालय सहायक	01* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सरकार सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, गैर-मंत्रालयी	वेतन मैट्रिक्स (18,000-56,900रु.) में स्तर-1	लागू नहीं	18-25 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सामान्य वर्ग के सरकारी कर्मचारियों के लिए 40 वर्ष तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति 45 वर्ष के लिए तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण1: आयु-सीमा निर्धारित करने की महत्वपूर्ण तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी (तथा असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नगालैंड, त्रिपुरा,	अनिवार्य: (i)किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण (ii)किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान में सर्टिफिकेट कोर्स टिप्पण 1: पूर्ण अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों के अलावा अन्य अभ्यर्थियों के मामले में योग्यता में छूट सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर दी जाती है। टिप्पण 2: यदि चयन में किसी चरण में सक्षम प्राधिकारी का मत है कि अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इस समुदाय के ऐसे अभ्यार्थियों की संख्या पर्याप्त	लागू नहीं	दो वर्ष	सीधी भर्ती टिप्पण- एक वर्ष अथवा इससे अधिक अवधि के लिए दूर की गई प्रतिनियुक्ति तैनाती अथवा लंबी बिमारी अथवा अध्ययन अवकाश अथवा किन्हीं अन्य परिस्थितियों के चलते हुई रिक्तियों को निम्नलिखित केंद्रीय सरकारी अधिकारियों के बीच में से प्रतिनियुक्ति आधार पर वेतन मैट्रिक्स (18000-56900 रु.) में स्तर-1 में नियमित आधार पर समरूप पद; और कॉलम-7 के अंतर्गत सीधी भर्तियों के लिए निर्धारित योग्यतासे भरा जाएगा।

					सिक्किम राज्य, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र , हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले एवं चंबा जिले का पांगी उप-प्रभाग तथा अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षदीप संघ क्षेत्र प्रदेश में अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं होगी)। टिप्पण 2: रोजगार कार्यालय (इम्प्लायमेंट एक्सचेंज) के जरिए की गई भर्ती के मामले में, आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख रोजगार कार्यालय द्वारा तय की गई उम्मीदवारों के नाम प्रेषित करने की अंतिम तारीख होगी।	नहीं है जिनमें अपेक्षित अनुभव नहीं है तो इन समुदाय से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर अनुभव संबंधित योग्यता में छूट दी जाती है।			

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं	विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण हेतु) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:- 1. अपर निदेशक,केंद्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु –अध्यक्ष	लागू नहीं

	2. उप निदेशक(महामारी),केंद्रीय, कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु –सदस्य 3. सहायक निदेशक(सर्जिकल),केंद्रीय, कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु –सदस्य 4. प्रशासनिक अधिकारी, केंद्रीय, कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु –सदस्य	

फा.सं. ए.12018/26/2019-कुष्ठ
(बैद्यानाथ प्रसाद)
अवर सचिव, भारत सरकार